

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

PUBLISHED BY AUTHORITY

आधिकार से प्रकाशित

सं० 23] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 1983/पीष 29, 1904

No 23] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 1983 PAUSA 29, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विस्त मन्त्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी 1983

सं० 9/83-सीपी मूलक

सांकांनि० 32(अ).--केन्द्रिय सरकार सांकां मूलक अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, अर्थात् यह समाधान
हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के विस्त मन्त्रालय अधिसू

घोर वैकिंग विभाग का अधिसूचना सं० 431-सीमाबन्धन, तारीख 1 नवम्बर, 1976 का निम्नलिखित घोर संशोधन करती है, प्रतीति :—

उक्त अधिसूचना से उपबन्धन धारणा में, नारियल (कोपरा) का तेल परिष्कृत से संशोधित क्रम सं० 3 के सामने, स्तम्भ 4 में, मूल्य का "40 प्रतिशत" प्रविष्टि के स्थान पर "मूल्य का 105 प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जायेगी।

[फा० न० 528/62-ए/82-सीमा (ढा कु)]

एत० शशाङ्करन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 1983

No. 9/83-CUSTOMS

G.E.R. 32(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Banking No. 431-Customs, dated the 1st November, 1976, namely:—

In the Table annexed to the said notification against Serial No. 3 relating to Coconut (copra) oil, refined, in column 4, for the entry "40 per cent ad valorem", the entry "105 per cent ad valorem" shall be substituted.

[F. No. 528/62-A/82-Cus (TU)]

N. SASIDHARAN, Under Secy.